प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया हैं।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण आपत्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2016–17 से 2021–22 की अवधि का लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए मुद्दें के साथ–साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षो में प्रकाश में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।